पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में,
दीवानी याचिका अधिकारिता वाद संख्या 17509/2018
उषा देवी, पत्नी - नरेश मुखिया, निवासी- ग्राम- नारदाह, वार्ड संख्या-02, थाना- पुरैनी, जिला-मधेपुरा ।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य

2. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, आई. सी. डी. एस., पुराना सचिवालय, पटना।3. आयुक्त, कोशी प्रभाग, सहरसा।

4. जिला मजिस्ट्रेट, मधेपुरा।

5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, मधेपुरा।

6. बाल विकास परियोजना अधिकारी पुरैनी मधेपुरा।

7. मुखिया ग्राम पंचायत, नरदाह थाना और प्रखण्ड पुरैनी जिला मधेपुरा।

8. वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत नरदाह और प्रखण्ड पुरैनी जिला मधेपुरा।

9. पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत नरदाह और प्रखण्ड पुरैनी जिला मधेपुरा।

10. नूतन कुमारी, पत्नी- अनमोल कुमार, निवासी, गाँव नारदा थाना- पुरैनी जिला माधेपुरा

प्रतिवादीगण

उपस्थिति
याचिकाकर्ताओं के लिएःMr.Shivnandan साह, राज्य के अधिवक्ताःMr.Md। रायसुल हक-प्रतिवादी No.10 के लिए SC10:श्री संजय कुमार सिंह, अधिवक्ता

==========
कोरमःमाननीय न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमन

तारीखः19-02-2024
याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, राज्य के विद्वान वकील और प्रतिवादी संख्या 10 के विद्वान वकील को सुना। 2.वर्तमान रिट याचिका जिलाधिकारी मधेपुरा द्वारा आंगनवाड़ी अपील संख्या 08/2017 में पारित दिनांक 02.08.2018 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत आंगनवाड़ी मामला संख्या 47/2015 में पारित दिनांक 24.04.2017 के आदेश को खारिज किया जाता है।

WEB COPY

.3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, राज्य के विद्वान वकील और निजी प्रतिवादी के विद्वान वकील संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका की नियुक्ति आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका दिशानिर्देश, 2011 के आलोक में हुई थी। उक्त दिशानिर्देश के नियम 10.3 में जिला कार्यक्रम अधिकारी की अनियमितता के खिलाफ संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील करने का सुझाव दिया गया है। नियम 10.6 जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में किसी भी अनियमितता के मामले में जिला कार्यक्रम अधिकारी के आदेश के खिलाफ जिलाधिकारी के समक्ष अपील के प्रावधान का सुझाव दिया गया है। 4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि आयुक्त के समक्ष अपील को दायर करने देने का प्रावधान है, जबकि स्वीकार किया जाता है कि निजी प्रतिवादी ने जिलाधिकारी के समक्ष अपील को दायर किया है, इसलिए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि उक्त अपील का निर्णय गलत फोरम द्वारा किया गया है और इसलिए, इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को उन दिशानिर्देशों के आलोक में आयुक्त के समक्ष अपील दायर करनी चाहिए जिनके तहत नियुक्ति हुई थी।

5. दूसरी ओर निजी प्रतिवादी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि इस अपील को वर्ष 2017 में दायर किया गया।

WEB COPY

और वर्ष 2017 में, अलग-अलग दिशा-निर्देश आए जिनमें अपील की सुनवाई केवल जिलाधिकारी द्वारा की जानी है और इसलिए, उन्होंने सही फोरम चुना है।

6. राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्ष 2016 में नए दिशानिर्देश आए हैं और उक्त दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि नियम 13 के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ केवल जिलाधिकारी के समक्ष दायर करने के अपील के दो फोरम का प्रावधान का निर्णय लिया गया है।वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि पहले के दिशानिर्देशों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है।

7. पक्षकारों को सुनने और अभिवचनों को पढने के बाद इस न्यायालय द्वारा कुछ तथ्यात्मक मैट्रिक्स को फ़िल्टर किया गया है।सभी पक्ष निम्नलिखित भागों पर सहमत हैंः-

(i) 2011 के आंगनवाड़ी दिशानिर्देश के तहत आंगनवाड़ी सेविका के पद पर निजी उत्तरदाता की नियुक्ति हुई;

(ii) जिला कार्यक्रम अधिकारी ने 2011 के दिशानिर्देश का पालन करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में मामले का फैसला किया है।

(iii) निजी प्रत्यर्थी द्वारा वर्ष 2017 में जिलाधिकारी के समक्ष निजी एक अपील दायर की गई थी,

WEB COPY

निजी प्रत्यर्थी के पक्ष में निर्णय लिया गया, उसके बाद, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई;

(iv) आंगनवाड़ी दिशानिर्देशों में वर्ष 2011 या वर्ष 2016 में कोई अपवादी खंड का उल्लेख नहीं है।

8. बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग निदेशालय द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना के तहत इन दिशानिर्देशों को प्राथमिकता दी गई है, जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर बच्चे को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के अनुपालन में बच्चे को सामाजिक कल्याण प्रदान करने की दृष्टि से डब्ल्यू. बी. एन. पी. योजना के तहत इनपुट प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। उक्त दिशानिर्देश को लागू करने के उद्देश्यों में से एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 को प्रभावी बनाना था, जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है, जैसा कि

जूली कुमारी उर्फ जूली देवी बनाम् बिहार राज्य 2023 (2) पी. एल. जे. आर. 253, (सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 20375/2011 में प्रतिवेदित मामले में

प्रासंगिक पैराग्राफ 14,15,16 और 17 जिनके बारे में नीचे उद्धृत किया गया हैः-

“14. इससे पहले की रिट कार्यवाही में इस न्यायालय का एक 'परमादेश' पहले से ही है। इस न्यायालय ने राज्य के विद्वान वकील की आपत्ति पर ध्यान दिया है, जिसकी जांच मनीबेन मगनभाई भारिया (उपर) के मामले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में की जानी है।

WEB COPY

.इस स्तर पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ '59', '60', '61' और '62' को केवल निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना उचित होगाः-

> “59. मैंने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 को आईसीडीएस की शुरुआत की। आई. सी. डी. एस. के तहत छह सेवाएं प्रदान की जा रही हैंः—
>
> ((i) पूरक पोषण,
> ((ii) पूर्व-विद्यालय गैर-औपचारिक शिक्षा, (iii) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, (iv) टीकाकरण,
>
> (v) स्वास्थ्य जांच और (vi) रेफरल सेवाएं।

आई. सी. डी. एस. और आंगनवाड़ी केंद्रों को चलाने की लागत भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा साझा की जा रही है।

60. 2013 का अधिनियम 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ। 2013 के अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों में से एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 को प्रभावी बनाना था, जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 47 इस प्रकार कहता हैः

> “अनुच्छेद 47:पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य
>
> राज्य अपने लोगों के पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा और विशेष रूप से, राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय उद्देश्य को छोड़कर सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।”

61. पोषण के स्तर में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। अनुच्छेद 47 के अलावा, भारत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और आर्थिक, सामाजिक पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा और सांस्कृतिक अधिकार का हस्ताक्षरकर्ता है।

WEB COPY

.उक्त सम्मेलन सभी राज्यों पर नागरिकों के पर्याप्त भोजन के अधिकार को मान्यता देने की जिम्मेदारी डालता है।जैसा कि 2013 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में प्रदान किया गया है, इसका एक उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है।2013 के अधिनियम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने में बदलाव लाना था।इस दृष्टिकोण को कल्याणकारी दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में बदल दिया गया था।आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका को 2013 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुच्छेद 7 में जगह मिली है।62. आंगनवाड़ी केंद्रों को 2013 के अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से मान्यता दी गई थी। 2013 अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) इस प्रकार हैः“(1) “आंगनवाड़ी "से केंद्र सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत धारा 5 और धारा 6 की उप-धारा (1) की धारा 4, खंड (ए) के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित एक बाल देखभाल और विकास केंद्र अभिप्रेत है।”

15. मनीबेन मगनभाई भारिया (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. आंगनवाड़ी केंद्रों की रीढ़ हैं और 2013 के अधिनियम के तहत लाभ बढ़ाने की उनकी भारी जिम्मेदारी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे ध्यान दिया कि गुजरात राज्य ने 25 नवंबर, 2019 को सरकारी प्रस्ताव के साथ ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. के संबंध में चयन मानदंड, कर्तव्यों, अनुशासनात्मक कार्रवाई, नियमों आदि के संबंध में विस्तृत प्रावधानों को निर्धारित किया था। वास्तव में उक्त प्रस्ताव में एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच के लिए चयन मानदंड, मानद सेवा, समीक्षा और अनुशासन नियम प्रदान किए गए थे। 16.इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने (2007) 11 एस. सी. सी. 681 में प्रतिवेदित किए गए कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम अमीरबी और अन्य को संदर्भित किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. के पद वैधानिक पद नहीं थे और 2018 का पटना उच्च न्यायालय सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.17509 निर्दिष्ट किया गया था।

WEB COPY

इन्हें आई. सी. डी. एस. योजना के संदर्भ में सृजित किया गया है।माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ '66सी', '67', '68' और '69' में निम्नलिखित अवलोकन किया“66ग. अमीरबी (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच सिविल पदों पर थे।मुद्दा यह था कि क्या एडब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत स्थापित राज्य न्यायाधिकरण के समक्ष दायर मूल आवेदन विचारणीय थे।इस न्यायालय ने माना कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. के पद वैधानिक पद नहीं थे और इन्हें आई. सी. डी. एस. के संदर्भ में सृजित किया गया है। इसलिए, राज्य सरकार और एडब्ल्यूडब्ल्यू के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. राज्य के किसी भी कार्य को नहीं करते हैं।यह देखा गया कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. की नियुक्ति के लिए कोई भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं। वर्ष 2007 में अमीरबी (ऊपर) के मामले में निर्णय दिए जाने के बाद बहुत बदलाव आ गया है।जब इस न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिया गया था, तो 2013 का अधिनियम क़ानून की पुस्तक में नहीं था।जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आईसीडीएस के तहत स्थापित आंगनवाड़ी केंद्रों को 2013 के अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके अलावा, 2013 अधिनियम की धारा 4,5 और 6 के तहत, आंगनवाड़ी केंद्र 2013 अधिनियम के तहत वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। मैं पहले ही 25 नवंबर 2019 के गुजरात सरकार के सरकारी प्रस्ताव का विस्तार से उल्लेख कर चुका हूं।

67. प्रस्ताव में उक्त नियमों को शामिल किया गया है जो ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. के चयन मानदंड, शैक्षिक योग्यता, चयन की प्रक्रिया आदि को निर्धारित करते हैं। उक्त नियमों के तहत, ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. की नियुक्तियां करने की एक विस्तृत प्रक्रिया को शामिल किया गया है।इसमें ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. के चयन के लिए अंकन प्रणाली भी शामिल है। उक्त नियमों में प्रावधान है कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहेंगे।यहां तक कि नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम और अधिकतम आयु भी

WEB COPY

निर्धारित की गई है।ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. की सेवाओं को समाप्त करने के प्रावधान हैं। हालाँकि उक्त नियम उनकी सेवा को मानद सेवा के रूप में संदर्भित करते हैं, लेकिन "मानद" शब्द का उपयोग एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच की स्थिति का निर्धारण नहीं करता है। 68.2013 के अधिनियम और आर. टी. ई. अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आंगनवाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं।इसलिए, ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. भी उक्त अधिनियमों के तहत वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं।इस प्रकार, 2013 के अधिनियम के अधिनियमन और गुजरात सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्र सरकार की एक विस्तारित शाखा बन गए हैं।संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत परिभाषित राज्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है।यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच के पद वैधानिक पद हैं।

69. जहाँ तक गुजरात राज्य का संबंध है, एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच की नियुक्तियाँ उक्त नियमों द्वारा शासित होती हैं।2013 के अधिनियम को देखते हुए, ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. अब आई. सी. डी. एस. की किसी भी अस्थायी योजना का हिस्सा नहीं हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. के रोजगार को अस्थायी दर्जा प्राप्त है।2013 के अधिनियम द्वारा लाए गए परिवर्तनों और गुजरात सरकार द्वारा बनाए गए उपरोक्त नियमों को देखते हुए, अमीरबी के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून इस न्यायालय को इस मुद्दे पर निर्णय लेने से आगे नहीं रोकेगा।ऊपर बताए गए कारणों से, अमीरबी के मामले में निर्णय का इन अपीलों में शामिल मुद्दे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"17. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, जब यह न्यायालय बिहार राज्य के संदर्भ में मामले की जांच करता है, तो यह देखा जाता है कि बिहार राज्य ने ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. के चयन से संबंधित नियम भी बनाए हैं। इससे पहले इसे बिहार आंगनबाडी सेविका पात्रता परीक्षा नियमावली, 2013 के नाम से जाना जाता था।यह चयन और अन्य चीजों के लिए पात्रता निर्धारित करता है।

WEB COPY

..

.

सरकार समय-समय पर प्रावधानों में संशोधन करती रही है। सरकार ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. को छुट्टी देने के मामले में निर्देश जारी करती रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रखंड स्तर पर चयन और चयन से संबंधित शिकायतों की निगरानी करने का काम सौंपा गया है। वर्ष 2016 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. और ए. डब्ल्यू. एच. के रिक्त पदों को दो दैनिक हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के बाद भरा जाना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील सुनने के लिए जिलाधिकारी सक्षम प्राधिकारी है। अब, संभागीय आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण को दायर देने का भी प्रावधान किया गया है।

19. उपरोक्त चर्चाओं की पृष्ठभूमि में आंगनवाड़ी सेविका और सहिका की सहायता के लिए उपयोग की जाने वाली आईसीडीएस की योजना को संवैधानिक दायित्व को लागू करने/पूरा करने के उद्देश्य से एक विनियमन माना जाएगा। इसके अनुसार, संवैधानिक दायित्व को पूरा करना होगा।

10. इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय की दृढ़ राय है कि इस दिशानिर्देश को सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का अधिनियम 10) में निर्धारित कानून के प्रावधान का पालन करना चाहिए, जहां धारा 6 में चर्चा की गई है कि किसी भी अधिनियम या विनियमन के निरसन का प्रभाव क्या होगा। 1897 के सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 को निम्नानुसार पढा जाता हैः.

6. निरसन का प्रभाव।—जहां यह अधिनियम, या कोई 4 [केंद्रीय अधिनियम] या विनियमन इस अधिनियम के लागू होने के बाद बनाया गया है।

WEB COPY

अब तक बनाए गए या इसके बाद बनाए जाने वाले किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है, फिर, जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, निरसन

(क) ऐसी किसी भी चीज़ को पुनर्जीवित नहीं करेगा जो उस समय लागू या मौजूद नहीं है जब निरसन प्रभावी होता है; या

((ख) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम या उसके अधीन विधिवत किए गए या पीड़ित किसी कार्य के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा; या

(ग) इस प्रकार निरस्त किए गए किसी अधिनियम के तहत अर्जित, उपार्जित या उपार्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित नही करेगा, या (घ) इस प्रकार निरस्त किए गए किसी अधिनियम के खिलाफ किए गए किसी अपराध के संबंध में किए गए किसी भी दंड, ज़ब्त या सजा को प्रभावित नही करेगा, या (ङ) उपरोक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, ज़ब्त या सजा के संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को प्रभावित नहीं करेगा ।

और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और ऐसा कोई जुर्माना, ज़ब्त या सजा इस तरह से लगाई जा सकती है जैसे कि निरसन अधिनियम या विनियमन पारित नहीं किया गया था।"

11. इस पृष्ठभूमि में, 2011 के पूर्व दिशानिर्देश में की गई किसी भी कार्रवाई को हमेशा अपवाद के रूप में रखा जाएगा, यदि

WEB COPY

नए दिशानिर्देश में, कोई अपवादी खंड का उल्लेख नहीं है, तब उस मामले में, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 का प्रावधान लागू होगा और इसके अनुसार, निजी प्रतिवादी को जिलाधिकारी के समक्ष नहीं, बल्कि आयुक्त के समक्ष अपील करना चाहिए।

12. मामले के इस दृष्टिकोण में, इस न्यायालय की दृढ़ राय है कि जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा आंगनवाड़ी अपील संख्या 08/2017 में पारित दिनांक 02.08.2018 का आदेश कानून की दृष्टि से गलत है और इसलिए, इसे खारिज कर दिया जाता है।

13. हालाँकि, निजी प्रतिवादी को स्वतंत्रता दी गई है कि वह 2011 के उक्त दिशानिर्देश के आलोक में अपनी अपील दायर कर सकता है।

14. नतीजतन, रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है।

(डॉ. अंशुमन, न्यायमूर्ति)जे)

अश्विनी/-

ए. एफ. आर/एन. ए. एफ. आर	एएफआर
सी. ए. वी. तिथि	एनए
अपलोड करने की तिथि	23/02/2024
प्रसारण तिथि	एनए

WEB COPY

WEB COPY